राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

क्र. : 3567 /SEIAA/2022
दिनांक: 24/3/22

प्रति,

कलेक्टर
जिला राजगढ़ (म.प्र.)

विषयः–प्रकरण क्र. 8882/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशू दुबे आत्मज श्री बृजमोहन दुबे, निवासी –वार्ड नं. 2, बालाजी नगर, तहसील पचौर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थन खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 5001 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 54/2, रकबा 1.880 हेक्टेयर, ग्राम पचौर, तहसील पचौर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 712 वी बैठक दिनांक 10.03.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के एकल प्रमाण पत्र क्र. 1475 दिनांक 30.11.2021 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होना बताया गया है। अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 500 मीटर की परिधि 04 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदान, बसाहट स्ट्रक्चर भी परिलक्षित हो रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया एवं जिला कलेक्टर राजगढ़ से 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी के संबंध में 07 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये

उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया एवं 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वर्तमान स्थिति की जानकारी 07 दिवस में SEIAA कार्यालय को प्रेषित करें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3568 /SEIAA/2022 दिनांक – 24/3/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. वन मंडलाधिकारी, जिला – राजगढ (म.प्र.)
5. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला – राजगढ (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Case No. 8882/2020